

हिंदुओं को धोखे से मांसाहारी बिरयानी खिलाने वाले 43 लोगों पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में एक उर्स के दौरान हिंदुओं को मांसाहारी बिरयानी परोसने के आरोप में 43 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला स्थानीय भाजपा विधायक की उस शिकायत के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर मांसाहारी बिरयानी परोसी गई.

अधिकारियों के मुताबिक, महोबा में चरखारी के सालट गांव में 31 अगस्त को शेख पीर बाबा का उर्स आयोजित किया गया था. चरखारी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनूप दुबे ने बताया, 'शेख कल्लू नामक एक व्यक्ति ने शेख पीर बाबा की दरगाह में एक जलसे का आयोजन किया था. जलसे में पूड़ी-सब्जी के अलावा मांसाहारी बिरयानी भी बनी थी. लोगों ने स्वेच्छानुसार भोजन किया था, हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने भी बिरयानी खाई थी.' उन्होंने बताया कि इसके बाद सूचना मिली कि बिरयानी खाने वाले कुछ हिंदू शेख कल्लू पर धर्म नष्ट करने का आरोप लगाकर पंचायत कर रहे हैं और उस पर धार्मिक शुद्धिकरण के लिए 50 हजार रुपये वसूलने और पूरे गांव को शाकाहारी भोजन कराने का दबाव बना रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस पंचायत स्थल पर पहुंची. पुलिस पूछताछ में लोगों ने मर्जी से बिरयानी खाने की बात स्वीकारी थी. इसके बाद दोनों पक्षों का आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले ने दोबारा तूल तब पकड़ा, जब क्षेत्रीय भाजपा विधायक वृजभूषण राजपूत मंगलवार को सालट गांव के दौरे पर पहुंचे और कुछ लोगों ने उनके सामने कथित रूप से 'धोखे से मांसाहारी बिरयानी' खिलाने का मुद्दा फिर उठा दिया. इसके बाद भाजपा विधायक की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को 43 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. चरखारी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनूप दुबे ने बताया कि इस मामले में 23 नामजद और 20 अज्ञात मुस्लिमों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. हालांकि, अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की हुई है. पुलिस अधीक्षक स्वामी नाथ ने भी विधायक की बात से असहमित जताते हुए कहा कि यह बात सही नहीं है कि जानबूझकर हिंदुओं को मांसाहारी बिरयानी परोसी गई. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है.